न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : (46/2003) 10/2019

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
मुकना के का.मु.		भभूत के का.मु.
1. लालीदेवी बेवा मुकनाजी		1/1 अमरा पुत्र भभूत
2. नेमाराम पुत्र मुकनाजी		1/2 माधु पुत्र भभूत
3. लिखमाराम पुत्र मुकनाजी		1/3 मिसरिया पुत्र भभूत
मोती के का.मु.		जातियान–सीरवी
1/1 तुलसाई पत्नी मोतीजी		निवासीगण–झाझनसास, तहसील–
1/2 मोहनलाल पुत्र मोतीजी		जैतारण जिला–पाली।
1/3 चौलाराम पुत्र मोतीजी		
1/4 बाबूलाल पुत्र मोतीजी		
1/5 भालाराम पुत्र मोतीजी		
1/6 संतोष पुत्री मोतीजी		
05 व 06 नाबालिग कुदरती वलीया माता तुलसाई जातियान–सीरवी, निवासीगण–झांझनवास तहसील–जैतारण जिला–पाली।		

प्रार्थना पत्र हस्ब दफा 151 सीपीसी .

तारीख रजू:.20/05/2003

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र कुमार गुरां, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 26/12/2019

वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र हस्ब 151सी.पी.सी का पेश किया कि वादीगण ने उक्त वाद प्रतिवादीगण के खिलफ कृषि भूमि खसरा नंबर 09 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 20 रकबा 1/4 बीघा में की गई रास्ते की एन्ट्री अवैध है और शून्य है और उसके आधार पर किया गया तरमीम रास्ता अवैध व गलत है इस दादरसी हेतू वाद वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ दायर किया है। प्रतिवादी मृतक भभूत के पिता घीसा ने भी एक दीवानी वादपत्र इजमेन्ट्री अधिकारों के तहत वादीगण के खिलफ खसरा नंबर 09 व 20 में रास्ता हेतू एसीजेएम कोर्ट जैतारण में दायर किया जो दीवानी मूल वाद संख्या 54/1985 व 59/2001 अनवान घीसा बनाम मुकना वगैरा था यह वाद एसीजेएम कोर्ट जैतारण में निर्णय दिनांक 15.01.2004 के वादीगण का उक्त सिविल वाद खारिज किया गया। वादीगण का उक्त सिविल वाद खारिज किया गया जिसके खिलाफ वादीगण घीसा के कायम मुकाम ने एडीजे संख्या 01 पाली मुख्यालय जैतारण के कोर्ट में अपील दायर की जो दीवानी डिकी अपील संख्या 82/ 2005 को मंजूर की जाकर वादीगण घीसा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

के कायम मुकाम का दावा डिक्री किया गया व अधिनस्थ न्यायालय एसीजेएम कोर्ट जैतारण का फैसला व डिक्री दिनांक 15.01.2004 अपास्त किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने उक्त मुकना वगैरा की अपील में दिनांक 29.03.2006 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश का स्थगन आदेश पारित किया। यह स्थगन आदेश दिनांक 17.03.2009 तक अपील खारिज होने तक प्रभावशाली था। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने मुकना वगैरा की अपील संख्या 90/2006 तारीख 17.03.2009 के आदेश से खारिज हो चुकी है इसलिए उक्त स्थगन आदेश भी खारिज हो चुका है। वादीगण मुकना के कायम मुकाम ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील संख्या 90/2006 तारीख 17.03.2009 को खारीज की है को आज तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है तथा अपील खारिज होने का आदेश अंतिम हो चुका है जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने मुकना वगैरा की अपील संख्या 90/2006 निर्णय दिनांक 17.03. 2009 के खारिज हो चुकी है तथा अपील खारिज का आदेश अंतिम हो चुका है तो यह राजस्व वाद कानूनन पोषणीय नहीं है तथा किसी भी सूरत में सुनवाई योग्य नहीं है। भभूत के कायम मुकाम का रास्ता का अधिकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से मुकना वगैरा की अपील संख्या 90/2006 तारीख 17.03.2009 को खारिज हो जाने से एडीजे कोर्ट फास्ट ट्रेक संख्या 01 पाली मुख्यालय जैतारण का अपील संख्या 82/2005 का निर्णय दिनांक 29.09.2005 अंतिम निर्णय हो चुका है इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का निर्णय अंतिम होने से वर्तमान में वादीगण का यह वादपत्र संख्या 66/1984 कानूनन पोषणीय नहीं है तथा यह वाद चालू रखना न्यायालय के प्रोसेस का दुरूपयोग है इसलिए वादीगण का यह राजस्व वाद निरर्थक हो चुका है खारिज किया जावे। प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वर्तमान राजस्व वाद संख्या 66/1984 मुकना वगैरा की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर अपील संख्या 90/2006 तारीख 17.03.2019 को खारिज हो चुकी है इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यालय का आदेश दिनांक 17.03.2099 कानूनन अंतिम हो चुका है यह वाद चालू रखना न्यायालय के प्रोसेस का दुरूपयोग है यह राजस्व वाद निरर्थक हो जाने से काबिल खारिज के है।

अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन करनें पर वादीगण का जवाब प्रार्थना-पत्र बंद किया गया और वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस उभय पक्षकारान की ध्यानपूर्वक सुनी एवं इस पर मनन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक नज़ीरें पेश की:-

1 - 2004 (2) CCC 533 (S.C.) PARA 16,19

2 - 2006 (4) CCC 361 (P.H.) PARA 9

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

वाद–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गै.मु. रास्ता जो कि सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज है, पर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थी एवं पत्रावली पर उपलब्ध विद्वान न्यायालयों के निर्णयों की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत वाद के प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विरूद्ध विद्वान ए.सी.जे.एम. न्यायालय, जैतारण में दायर दीवानी वाद (54/1985) 59/2001 बाबत् रास्ते के उपयोग के अधिकार बाबत शाश्वत व्यादेश जिसे निर्णय दिनांक 15/01/2004 को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय की अपील विद्वान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक, जैतारण में अपील संख्या 82/2005 की गई जिसे माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.09.05 द्वारा स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाकर हस्तगत वाद के वादीगण के विरूद्ध शाश्वत व्यादेश इस बाबत् जारी किया गया कि वह सार्वजनिक रास्ते के उपभोग उपभोग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय एवं डिक्री की द्वितीय अपील हस्तगत वाद के वादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील संख्या 90/2006 दायर की गई। जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.03.2009 द्वारा खारिज कर दिया गया है। वादीगण द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी भी स्तर पर अपील दायर किए जानें बाबत कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस प्रकार वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि ''गैर मुमकिन रास्ता'' के सबंध में विद्वान न्यायालय अपील जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) जैतारण का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2005 अंतिम निर्णय हो चुका है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त न्यायिक नजीरें हस्तगत प्रकरण में हुबहू चस्पा होती है। अतः निष्कर्षत हमारा स्पष्ट अभिमत है कि प्रकरण का अंतिम विनिश्चय हो चुका है तथा इसके बावजूद इस पर विचारण करना अनावश्यक समानांतर कार्यवाही की श्रेणी में आती है जो कि अनावश्यक एवं विधिक तौर पर अनुचित और निरर्थक है, अतः प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी स्वीकार करते हुए वाद–वादी इसी स्तर पर खारिज करना समुचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अंतर्गत धारा–151 सि.प्र.स. बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाकर वाद–वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण

निर्णय आज दिनॉक 26/12/2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.31 16:39:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: